न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01 / 2024

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री ब्रह्माकुमारीज संस्थान, शांतिवन, दानवाव (निजी संस्था) आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही जरिए कार्यकारी सचिव श्री बी.के. मृत्युजंय पुत्र श्री सदाशिवय्या हाल निवासी आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :
1. श्री कलीम अव्वल अधिवक्ता अपीलांट।
2. नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 10.01.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 02 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2023 के विरूद्ध दिनांक 31.01.2024 को प्रस्तुत की, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा ग्राम दानवाव पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 279 / 87 रकबा 0.8599 हैक्टेयर किस्म नाला पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया [illegible] को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने [illegible] आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह [illegible] न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई और बचाव का अवसर नहीं दिया गया है, पेशी की तारीख को अपीलान्ट के अधिवक्ता स्वयं पेशी पर हाजिर हुए थे, उस समय तहसीलदार महोदय अन्यत्र कहीं व्यस्त थे, जिससे अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा सम्बन्धित लिपिक को तहसीलदारजी के आने

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर पुनः बुलाने हेतु अन्यथा तहसीलदारजी के नहीं होने से पेशी बाद में नोट करने का कहा गया था। तहसीलदार महोदय, आबूरोड़ द्वारा बार–बार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत गवाहान से अपीलान्ट को जिरह तक नहीं करने दी गई तथा न ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं बहस करने का अवसर ही दिया गया, जो कि कानून की घोर अवज्ञा हैं। प्रार्थी / रेस्पोड़ेन्ट की ओर से प्रस्तुत बेदखली फर्द एवं पटवारी के बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं तथा साक्ष्य में शुमार किये जाने योग्य नहीं हैं, उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता हैं, जिससे अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। यह कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी द्वारा अपीलान्ट को जिस खसरा संख्या 279/87 की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया हैं, उक्त भूमि के संबंध में दीवानी वाद सक्षम सिविल न्यायालय में लंबित होना अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा बताया गया था, जिस पर भी अधीनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा कोई गौर नहीं फरमाया गया। अपीलान्ट नाले की भूमि पर काबिज नहीं हैं और न ही मौके पर कोई नाला हैं। जबकि उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व भूमि ही नहीं हैं, बल्कि गांव दानवाव की आबादी भूमि हैं, जिस पर कदीमी काबिज हैं। उक्त भूमि आबादी भूमि होने से राजस्व न्यायालय को प्रकरण का क्षेत्राधिकार नहीं हैं, उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर वादग्रस्त भूमि के आबादी भूमि होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने महज खानापूर्ति के इरादे से विधिविरूद्ध रूप से आलोच्य निर्णय दिनांक 26.10.2023 पारित किया हैं, जो विधि व तथ्यों के विपरित होकर अवैध तथा निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह कि भारतीय विधि एवं प्राकृतिक न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धांत हैं कि कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आबूरोड ने उपरोक्त सिद्धांतों की पूर्ण अवज्ञा कर उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध अमल में लाकर केवल मात्र पटवारी हल्का मानपुर की रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 26.10.2023 पारित किया हैं, जो पूर्णतः गलत व विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह कि अपीलान्ट का उपरोक्त विवादित भूमि में अतिक्रमण नहीं हैं, इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आबूरोड़ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर मनमाने रूप से बिना किसी आधार के अपीलान्ट के विरूद्ध उपरोक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 26.10.2023 पारित किया हैं, जो निरस्त किये जाने [illegible] उपरोक्त प्रकरण में गैर सायल के कदीमी कब्जे की भूमि [illegible] गलती से राजस्व भूमि बताकर श्रीमान के [illegible] जो मानने योग्य नहीं हैं एवं गैर सायल के कदीमी कब्जेशुदा भूमि आबादी [illegible] होने से यदि गैर सायल द्वारा यदि कोई अतिक्रमण माना भी जाता हैं, तो वह आबादी भूमि होने से प्रकरण सिविल नेचर का हैं, जिससे माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने से भी प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

काबिले खारिज हैं। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थी, जिससे अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जा सके एवं वादग्रस्त भूमि को राजस्व भूमि माना जा सकें, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बेदखली फर्द पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं होना तथा तथाकथित पूर्व बेदखली की फर्द साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। यह है कि अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। अपीलान्ट का कब्जा अनाधिकृत है और अपीलांट अतिक्रमणकारी है। तदनुसार ही अपीलांट के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को खारिज किया जाना फरमावें।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन नाला दर्ज है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2080 मे अतिक्रमण कर नाले पर दीवार बनाकर कब्जा करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है एवं अपीलांट अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में गत पेशी पर उपस्थित था, जिसकी आदेशिका में अपीलांट अधिवक्ता स्वयं ने हस्ताक्षर किए हुए है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अव[illegible]री हल्का मानपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौज[illegible]टवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही [illegible]03 हेक्टेयर किस्म नाला पर अपीलांट ने अवैध दीवार निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट द्वारा ख[illegible] संख्या 279/87 पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि भू-अभिलेख निरीक्षक मूंगथला एवं पटवारी हल्का मानपुर द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 में यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा संख्या 279/87 रकबा

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)
जिला कलेक्टर, सिरोही
Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

0.8599 हैक्टेयर किस्म नाला राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर रकबा 0.4803 हैक्टेयर पर संस्था द्वारा नाले पर पक्का आर.सी.सी. निर्माण कर पार्किंग उपयोग में लिया जा रहा है और मौके पर उक्त नाले पर बहुमंजिला पक्के भवनों का निर्माण किया, जो नाले के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गय है। चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि की किस्म नाला है, जो कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा प्रतिबंधित है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि ग्राम दानवाव की आवादी भूमि है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि ग्राम दानवाव की आबादी भूमि है। अतः उक्त भूमि डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा प्रतिबंधित होने से अपीलांट को किसी तरह की कोई राहत दिया जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner